

PRESS NOTE PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS ELECTIONS

Panchkula, the 15th June, 2023: Sh.Dhanpat Singh, State Election Commissioner, Haryana stated that the election programme for the conduct of the Bye elections on 1983 vacant seats viz. 1958 Panches, 18 Sarpanches of Gram Panchayat, 5 Members of Panchayat Samitis and 2 members of Zila Parishad has been issued. The polling for these elections shall be held on **09.07.2023**, the Election programme is as under:-

TABLE -A

Sr. No.	Programme	Date
1.	Date on which notice shall be published by the Deputy Commissioner-cum-District Election Officers (Panchayat) in Form 2 or 3, as the case may be, for inviting nominations under rule 24 of the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994.	15.06.2023 (Thursday)
2.	Dates on which nomination papers shall be presented under Rule 24(2)(i)	21.06.2023 (Wednesday) to 26.06.2023 (Monday) (except 25.06.2023 (Sunday)) (10.00 AM to 3.00 PM)
3.	Dates on which the list of nomination papers received shall be pasted under rule 24(2) (ii)	21.06.2023 (Wednesday) to 26.06.2023 (Monday) (except 25.06.2023 (Sunday))
4.	Date by which affidavit/declaration shall be furnished by the candidates in Form 4-A, to the concerned Returning Officer. (rule 27)	21.06.2023 (Wednesday) to 26.06.2023 (Monday) (except 25.06.2023 (Sunday))
5.	Date on which the nomination papers shall be scrutinized under rule 24(2)(iii)	27.06.2023 (Tuesday) 10.00 AM onwards
6.	Last date for withdrawal of candidature by a candidate under rule 24(2)(iv)	28.06.2023 (Wednesday) (upto 3.00PM)
7.	Date on which symbols shall be allotted to the contesting candidates.	28.06.2023 (Wednesday) (after 3.00 PM)
8.	Date on which list of the contesting candidates shall be pasted under rule 24(2)(v)	28.06.2023 (Wednesday)
9.	Dates on which the poll, if any, shall be held under rule 24(2)(vi)	09.07.2023 (Sunday)
10.	Timing of the poll	Between 7.00 A.M. to 6.00 P.M.
11.	Counting of votes	i) On polling booths immediately after the close of poll. ii) In case of re-poll, the State Election Commission, Haryana may change the date and time of counting of votes.
12.	Declaration of result	Immediately after the completion of counting votes.

Nomination form and format of affidavits to be enclosed with the nomination are available on State Election Commission's website i.e. <https://www.secharyana.gov.in>

2. The status of reservation in vacancies is as follows:-

Sr. No.	Category	Member Zila Parishad	Member Panchayat Samiti	Sarpanch	Panch
1.	Other Than Women	0	2	5	418
2.	Women	1	0	2	585
3.	Scheduled Caste Other Than Women	1	1	3	208
4.	Scheduled Caste Women	0	2	1	229
5.	Backward Class 'A' Other Than Women	0	0	5	236
6.	Backward Class 'A' Women	0	0	2	282
		2	5	18	1958

3. District-wise list of vacancies where bye-elections are to be held.

Sr. No.	District	Member Zila Parishad	Member Panchayat Samiti	Sarpanch	Panch
1.	Ambala	0	0	0	127
2.	Bhiwani	0	0	1	108
3.	Charkhi Dadri	0	1	0	44
4.	Faridabad	1	0	0	26
5.	Fatehabad	0	0	1	86
6.	Gurugram	0	0	0	57
7.	Hisar	1	1	1	118
8.	Jhajjar	0	0	0	77
9.	Jind	0	0	1	164
10.	Kaithal	0	1	0	104
11.	Karnal	0	0	2	77
12.	Kurukshetra	0	0	1	113
13.	Mahendergarh	0	0	3	60
14.	Nuh	0	0	0	141
15.	Palwal	0	0	1	75
16.	Panchkula	0	0	3	73
17.	Panipat	0	0	0	42
18.	Rewari	0	1	2	69
19.	Rohtak	0	0	0	62
20.	Sirsa	0	0	0	89
21.	Sonipat	0	0	1	138
22.	Yamuna Nagar	0	1	1	108
	Total	2	5	18	1958

4. Model Code of Conduct

Model Code of Conduct shall come into force from today i.e. **15.06.2023** in respect of Panchayati Raj Institutions where poll is to be held on **09.07.2023**. No officer/official connected with the election work in these institutions shall be transferred from his/her present place of posting till the completion of election process.

5. Educational Qualification for contesting candidates

Name of post	Category		
	Unreserved	Women/SC	SC (Women)
Panch	10 th	8 th	5 th
Sarpanch	10 th	8 th	8 th
Member Panchayat Samiti	10 th	8 th	8 th

Member Zila Parishad	10 th	8 th	8 th
----------------------	------------------	-----------------	-----------------

6. Security Deposit

Panchayati Raj Institution	Amount of deposit	
	General	Women, Schedule Caste and Backward Class
Panch	Rs.250/-	Rs.125/-
Sarpanch	Rs.500/-	Rs.250/-
Member Panchayat Samiti	Rs.750/-	Rs.375/-
Member Zila Parishad	Rs.1000/-	Rs.500/-

7. Expenditure Limit

Expenditure limit for the candidates contesting election for Panchayati Raj Institutions has been fixed as follows:-

Panchayati Raj Institution	Member
Panch	50,000/-
Sarpanch	2,00,000/-
Member Panchayat Samiti	3,60,000/-
Member Zila Parishad	6,00,000/-

All the contesting candidates are required to maintain account of election expenditure and submit the same within 30 days from the date of declaration of election result to the Deputy Commissioner-cum-District Election Officer (Panchayat) or an officer authorized by the State Election Commission, failing which the defaulting candidate shall be liable to be disqualified for 3 years.

8. Police Deployment, Sensitive & Hyper Sensitive booths

Elaborate arrangements are being made for conduct of elections in a free, fair, transparent and peaceful manner. Adequate police force shall be deployed to maintain law and order at the polling stations and extra police force will be provided in sensitive and hyper sensitive areas.

9. Printing of Ballot Papers

The ballot papers for the post of Panches shall be printed in black ink on white paper and ballot paper for the post of Sarpanch in Blue ink on white paper, ballot paper for the post of Member Panchayat Samiti in yellow ink on white paper and for the post of Member of Zila Parishad in red/pink ink on white paper or on respective coloured paper with black ink as notified by the State Election Commission, Haryana vide its notification No.SEC/E-II/SA/2022/2269, dated 12th September, 2022, prescribed the design of ballot paper to be used on Electronic Voting Machine and design of tendered ballot paper of an election of Sarpanch of

Gram Panchayat; Member Panchayat Samiti and Member Zila Parishad in the State of Haryana where the election will be held by voting machine.

10. NOTA (None of the above)

NOTA option will be used in these elections so that voters who come to the polling stations and decide not to vote for any candidate in fray, may be able to exercise their right of not to vote while maintaining their right of secrecy. The salient features of the NOTA are as under:-

- (i) NOTA shall be treated as a 'Fictional Electoral Candidate' while declaring the election results,
- (ii) In case, a contesting candidate and the "Fictional Electoral Candidate' i.e. NOTA receive highest equal number valid votes then the contesting candidate (not NOTA) shall be declared as elected.
- (iii) If in any election, all the contesting candidates individually receive lesser votes than the 'Fictional Electoral Candidate' i.e. NOTA then none of the contesting candidates will be declared as elected.
- (iv) In case of situation arising under sub-section (iii) above, re-election shall be held for the seat. Further all such contesting candidates who secured less votes than NOTA shall not be eligible to re-file nomination/contest the re-election.
- (v) In re-election, if NOTA again get the highest number of votes then further election will not be conducted and the contesting candidate with the highest votes (excluding NOTA) shall be declared as elected.

The following procedure shall be followed in such circumstances,

- i) If the Returning Officer, upon completion of counting but before declaration of result, finds that NOTA has received higher valid votes than all other contesting candidates individually; then the Returning Officer shall not declare the result for that particular seat(s) and shall immediately send his report to the State Election Commission in this regard.
- ii) Upon receipt of such report, the State Election Commission shall after perusal, declare the fresh election programme for the said seat(s).

11. Electoral Roll/Voters List

State Election Commission has updated the voters' lists of Panchayati Raj Institutions on the basis of Haryana Vidhan Sabha electoral rolls published by the Election Commission of India on 05.01.2023 with reference to 1st January, 2023

as qualifying date up to 30.05.2023. However, if any person whose name is not included in the ward wise voters list of Panchayati Raj Institution concerned, but his/her name exists in the relevant part of the electoral roll of the State Legislative Assembly constituency, he/she may apply (in Form "1A") to the Deputy Commissioner-cum-District Election Officer (Panchayat) for inclusion of his/her name in the voters' list of Panchayati Raj Institution till the first date of filing of nomination. No amendment, transposition or deletion of any entry in the voters' list shall be made and no direction for inclusion of a name in the voters' list of any ward shall be given, after the first date for filing of nominations for an election in that Panchayati Raj Institution.

12. Appeal

An appeal is issued to the voters of Panchayati Raj Institutions in the State to participate in these elections in a big way to elect their representatives without any bias of caste/religion and without any fear or favour for strengthening democracy at the grass root level.

प्रेस नोट

पंचायती राज संस्थानों के उप-चुनावों हेतु

पंचकूला, 15 जून, 2023 : श्री धनपत सिंह, राज्य चुनाव आयुक्त, हरियाणा ने बताया है कि पंचायती राज संस्थाओं की 1983 रिक्त सीटों अर्थात् ग्राम पंचायत के 1958 पंचों, 18 सरपंचों, पंचायत समिति के 5 सदस्यों तथा जिला परिषद के 2 सदस्यों के उप-चुनावों को करवाने हेतु चुनाव कार्यक्रम आज जारी कर दिया गया है। इन चुनावों के लिए मतदान 09.07.2023 को करवाया जाएगा, जिसका चुनाव कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	कार्यक्रम	दिनांक
1.	जिस तिथि को उपायुक्त-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा फॉर्म 2 अथवा 3, जैसी भी स्थिति हो, में हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के नियम, 24 के तहत नामांकन आमंत्रित किये जायेंगे।	15.06.2023 (वीरवार)
2.	जिन तिथियों को नियम 24(2)(i) के तहत नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।	21.06.2023 (बुधवार) से 26.06.2023 (सोमवार) (सिवाए 25.06.2023 (रविवार)) (सुबह 10.00 बजे से दोपहर 3.00)
3.	जिन तिथियों को नियम 24(2)(ii) के तहत प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची चरपा की जाएगी।	21.06.2023 (बुधवार) से 26.06.2023 (सोमवार) (सिवाए 25.06.2023 (रविवार))
4.	जिस तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म 4-क में शपथपत्र/घोषणापत्र, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। (नियम-27)	21.06.2023 (बुधवार) से 26.06.2023 (सोमवार) (सिवाए 25.06.2023 (रविवार))
5.	जिस तिथि को नियम 24(2)(iii) के तहत नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।	27.06.2023 (मंगलवार) प्रातः 10.00 बजे से
6.	नियम 24(2)(iv) के तहत उम्मीद्वारी वापसी की अन्तिम तिथि	28.06.2023 (बुधवार) (दोपहर 3.00 बजे तक)
7.	जिस तिथि को चुनाव लड़ने वाले उम्मीद्वारों को चिह्न आवंटित किया जाएगा।	28.06.2023 (बुधवार) (दोपहर 3.00 बजे के बाद)
8.	जिस तिथि को नियम 24(2)(v) के तहत चुनाव लड़ने वाले उम्मीद्वारों की सूची चरपा की जाएगी।	28.06.2023 (बुधवार)
9.	जिस तिथि को मतदान, यदि कोई हो, नियम 24(2)(vi) के तहत करवाया जाएगा।	09.07.2023 (रविवार)
10.	मतदान का समय	प्रातः 07.00 बजे से सायं 6.00 बजे के मध्य
11.	मतगणना	I. पोलिंग बूथों पर मतदान समाप्ति के ठीक बाद। II. पुनः मतदान की स्थिति में, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा मतगणना के समय व तिथि को बदल सकता है।
12.	परिणाम की घोषणा	मतगणना पूर्ण होने के तुरंत बाद।

नामांकन पत्र और नामांकन के साथ संलग्न किए जाने वाले शपथ पत्रों के प्रारूप राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट यादि <https://www.secharyana.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

2. रिक्त पदों में आरक्षण की स्थिति निम्नप्रकार है:-

क्र० सं०	श्रेणी	सदस्य जिला परिषद	सदस्य पंचायत समिति	सरपंच	पंच
1.	महिला के अलावा	0	2	5	418
2.	महिला	1	0	2	585
3.	अनुसूचित जाति महिला के अलावा	1	1	3	208
4.	अनुसूचित जाति महिला	0	2	1	229
5.	पिछड़ा वर्ग 'क' महिला के अलावा	0	0	5	236
6.	पिछड़ा वर्ग 'क' महिला	0	0	2	282
		2	5	18	1958

3. जिलावार रिक्त पदों जिनके लिए उप-चुनाव करवाया जाना है, निम्नप्रकार है:-

क्र० सं०	जिला	सदस्य जिला परिषद	सदस्य पंचायत समिति	सरपंच	पंच
1.	अम्बाला	0	0	0	127
2.	भिवानी	0	0	1	108
3.	चरखी दादरी	0	1	0	44
4.	फरीदाबाद	1	0	0	26
5.	फतेहाबाद	0	0	1	86
6.	गुरुग्राम	0	0	0	57
7.	हिसार	1	1	1	118
8.	झज्जर	0	0	0	77
9.	जीन्द	0	0	1	164
10.	कैथल	0	1	0	104
11.	करनाल	0	0	2	77
12.	कुरुक्षेत्र	0	0	1	113
13.	नारनौल	0	0	3	60
14.	नूहँ	0	0	0	141
15.	पलवल	0	0	1	75
16.	पंचकुला	0	0	3	73
17.	पानीपत	0	0	0	42
18.	रिवाड़ी	0	1	2	69
19.	रोहतक	0	0	0	62
20.	सिरसा	0	0	0	89
21.	सोनीपत	0	0	1	138
22.	यमुनानगर	0	1	1	108
	कुल	2	5	18	1958

4. आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता केवल उन्हीं पंचायती राज संस्थाओं में लागू होगी जहां पर उप-चुनाव करवाए जाने हैं। इन संस्थाओं में निर्वाचन कार्य

से सम्बद्ध किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक उसके वर्तमान नियुक्ति स्थान से स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा।

5. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता

पद का नाम	श्रेणी		
	अनारक्षित	महिला/अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति (महिला)
पंच	10वीं पास	08वीं पास	05वीं पास
सरपंच	10वीं पास	08वीं पास	08वीं पास
सदस्य पंचायत समिति	10वीं पास	08वीं पास	08वीं पास
सदस्य जिला परिषद्	10वीं पास	08वीं पास	08वीं पास

6. जमानत राशि

पंचायती राज संस्थान	जमा राशि	
	सामान्य	महिला, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग
पंच	250/- रुपये	125/- रुपये
सरपंच	500/- रुपये	250/- रुपये
सदस्य पंचायत समिति	750/- रुपये	375/- रुपये
सदस्य जिला परिषद्	1000/- रुपये	500/- रुपये

7. व्यय/खर्चा सीमा

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों हेतु व्यय/खर्चा सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

पंचायती राज संस्था	सदस्य
पंच	50,000/-
सरपंच	2,00,000/-
सदस्य पंचायत समिति	3,60,000/-
सदस्य जिला परिषद्	6,00,000/-

चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च का लेखा रखना और इसे चुनाव परिणाम की घोषणा से तीस दिनों के भीतर उपायुक्त-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर दोषी उम्मीदवार को तीन वर्षों हेतु अयोग्य घोषित किया जाएगा।

8. पुलिस तैनाती संवेदनशील तथा अति संवेदनशाल बूथ

स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए समूची व्यवस्था की जा रही है। मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा।

9. मतपत्रों की छापाई

पंचों के पद के लिए मतपत्र सफेद कागज पर काली स्याही से और सरपंच पद के लिए मतपत्र सफेद कागज पर नील स्याही से, सदस्य पंचायत समिति के पद के लिए मतपत्र सफेद कागज पर पीली स्याही से और सदस्य जिला परिषद के पद हेतु मतपत्र सफेद कागज पर लाल/गुलाब स्याही से या संबंधित रंगीन कागज पर काली-स्याही से मुद्रित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा इसकी अधिसूचना सं. एसईसी/ई-गा/एस.ए./2022/2269, दिनांक 12 सितम्बर, 2022 में, हरियाणा राज्य में सरपंच ग्राम पंचायत, सदस्य पंचायत समिति तथा सदस्य जिला परिषद, जहां चुनाव वोटिंग मशीन द्वारा करवाए जायेंगे, के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर उपयोग होने वाले मतपत्र का डिजाईन तथा टैंडर मतपत्र का डिजाईन, विहित किया गया है।

10. नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं)

इन चुनावों में नोटा विकल्प का उपयोग किया जाएगा ताकि मतदान केन्द्रों पर आने वाले मतदाता और किसी भी उम्मीदवार के लिए मतदान न करने का निर्णय लेने वाले मतदाता गोपनीयता के अपने अधिकार को बनाए रखते हुए मतदान न करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। नोटा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- I. चुनाव परिणामों की घोषणा करते समय नोटा को काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा,
- II. यदि किसी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार तथा 'काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार' यानि नोटा को सबसे अधिक संख्या में वैध मत प्राप्त होते हैं, तो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार (नोटा) को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।
- III. यदि किसी चुनाव में, चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से 'काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार' यानी नोटा से कम वोट मिलते हैं, तो चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा।
- IV. उपरोक्त उप-धारा (III) के तहत उत्पन्न स्थिति के मामले में, सीट के लिए फिर से चुनाव कराया जाएगा। इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले ऐसी सभी उम्मीदवार जिन्होंने नोटा से कम वोट हासिल किए हैं, वे दोबारा नामांकन/पुनर्निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- V. पुनः चुनाव में, यदि नोटा को फिर से सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, तो आगे चुनाव नहीं कराया जाएगा और सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार (नोटा को छोड़कर) को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

ऐसी परिस्थितियों में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:-

- I. यदि रिटर्निंग अधिकारी, मतगणना के पूरा होने पर, लेकिन परिणाम की घोषणा से पहले, पाता है कि नोटा को अन्य सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की तुलना में व्यक्तिगत रूप से अधिक वैध मत मिले हैं; तो रिटर्निंग अधिकारी उस विशेष सीट (सीटों) के लिए परिणाम घोषित नहीं करेगा और इस संबंध में तुरंत राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजेगा।
- II. ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य निर्वाचन आयोग, अवलोकन के बाद उक्त सीट (सीटों) के लिए नए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा।

11. मतदाता नामावली/मतदाता सूची

राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 05.01.2023 को प्रकाशित विधान सभा मतदाता सूची के आधार पर सभी सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची को अपडेट करते हुए 30.05.2023 को प्रकाशित किया है। यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम संबंधित पंचायती राज संस्थान की वार्डवार मतदाता सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उसका नाम राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्धित भाग की मतदाता सूची में मौजूद है, तो वह अपना नाम नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख तक पंचायती राज संस्थान की मतदाता सूची में शामिल करवाने के लिए उपायुक्त-एवं-जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को पारुप '1क' में आवेदन कर सकता/सकती है। पंचायती राज संस्थानों के किसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख के बाद मतदाता सूची में कोई संशोधन, स्थानान्तरण या किसी प्रविष्टि का विलोपन नहीं किया जाएगा और किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा।

12. अपील

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के मतदाताओं से अपील की जाती है कि वे बिना किसी जाति/धर्म पक्षपात के और बिना किसी भय या पक्षपात के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए इन चुनावों में ज्यादा से ज्यादा भाग लें।